


21/12/22 पत्रावली पेश हुई। परकारण वकील उप. हैं। इन्तजार जारी
पत्रावली दिनांक 10/1/23 को पेश हो



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

10/1/23

पत्रावली पेश हुई है। आव/कार्य
कन्ट्रोल ऑफ़ अप्रॉपियेटे जनरल
दिनांक की गई। फलस्वरूप पत्रावली
दिनांक 10/1/23 को पेश हो।

kyjy

30/1/23 पत्रावली पेश हुई। परकारण वकील उप. हैं। वारीगन
का दावा तत्काल का होने के कारण प्राथमिक डिफ्री जारी
की जा चुकी है। प्राथमिक डिफ्री जारी होने से प्रार्थनापत्र को
आगे चलाने रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है,
अतः समयपत्र को वादग्रस्त सूनि अन्वय न. 467 स्कबा 3-78
है। वाने गाम खेजडी खुर्द तहसील कोटखावा के रिकार्ड व
मौजे की यथास्थिति बनाने रखने हेतु ताल्ललाबाइ अस्थाफी
निवेदाता से पाबन्द किया जाकर (न्याय आदेश) दिनांक 10/1/22
का इन्फर्म किया जाता है। पत्रावली वाद तत्काल सामिल
दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)